02.9.2024

पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी पूनाराम पुत्र तलका जी माली, जाति– माली, निवासी– जैन गली, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सोनाधारी स्वीट व किराणा स्टोर, मैन रोड़, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरूद्ध श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.2.2023 को मैसर्स सोनाधारी स्वीट व किराणा स्टोर, कृष्णगंज, तहसील व जिला-- सिरोही में प्रतिवादी पूनाराम पुत्र तलका जी माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) का नमूना संख्या S-2010 निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के जांच प्रमाण पत्र रिपोर्ट क्रमांक:557F/FSSA/2023 दिनांक 11.9.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी पूनाराम उपस्थित नही हुआ एवं न ही प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.2.2023 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स सोनाधारी स्वीट व किराणा स्टोर, कृष्णगंज, तहसील व जिला–सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता/प्रोपराईटर व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी पूनाराम पुत्र तलका जी माली, निवासी– जैन गली, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने

....लगातार

प्रात. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001.

न्यायालय प्रात० जिला न्यायाधीश सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:23 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 02/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	वाले खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) के मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर प्रतिवादी विक्रेता पूनाराम को गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) के 50 पैक्ड बोतल पैक में (प्रत्येक 200 ग्राम) में से घी (ब्राण्ड–परेवा) के 4 पैक्ड बोतल (प्रत्येक 200 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/– (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी पूनाराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2010, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) के चारों नमूना पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2010 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री राजेन्द्र कुमार गहलाते, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता व श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री सिद्धार्थ सिंह तोमर, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 17.2.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स सोनाधारी स्वीट व किराणा स्टोर, कृष्णगंज में प्रतिवादी विक्रेता पूनाराम से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत् की गई है। प्रकरण में खाद्य .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:23 IST
Reason: SelfAttested

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

F.S.S.Act Case No. 02/2024

विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) के नमूना संख्या S-2010 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./291/Act/2023/344 दिनांक 28.2.2023 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) का नमूना असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी के अपील आवेदन पर उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) के नमूना संख्या S-2010 के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्या:557F/FSSA/2023 दिनांक 11.9.2023 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) का नमूना संख्या S-2010 मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी पूनाराम ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) के क्रय का बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी पूनाराम ने मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी, स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा– 51 व 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) व अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड–परेवा) के विक्रय हेतु प्रतिवादी पूनाराम पुत्र तलका जी माली, जाति– माली, निवासी– जैन गली, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सोनाधारी स्वीट व किराणा स्टोर, मैन रोड़, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी पूनाराम पुत्र तलका जी माली, जाति– माली, निवासी– जैन गली, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सोनाधारी स्वीट व किराणा स्टोर, मैन रोड़, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 08.10.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:23 IST
Reason: SelfAttested